

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

क्रमांक:- 4/कार्या.स्था./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

:: आदेश ::

म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 09-01/2017/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा डॉ. गोपीकृष्ण अग्रवाल, (शिशुरोग विशेषज्ञ) प्रभारी उप संचालक, को विशेषज्ञ संवर्ग में दिनांक 26.08.2008 से वरिष्ठश्रेणी वेतनमान रूपये पी.बी.-4(37400-67000+8700)स्वीकृत करने के फलस्वरूप नियमानुसार म.प्र. पुनरीक्षण नियम-2009 (छठवें वेतनमान) के अंतर्गत वेतन निर्धारण दिनांक 26.08.2008 से निम्नानुसार किया जाता है।

| पूर्व में प्राप्त वेतन म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम-2009 पी.बी.-3 (15600-39100) + 7600 | | | | प्रवर श्रेणी वेतनमान पश्चात प्राप्त वेतन म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम-2009 पी.बी.-4 (37400-67000) + 8700 | | | |
|---|------------------|------|-------|---|-------|------|-------|
| 01.07.2008 | 32730 | 7600 | 40330 | 26.08.2008 | 37400 | 8700 | 46100 |
| 01.07.2009 | 33940 | 7600 | 41540 | 01.07.2009 | 38790 | 8700 | 47490 |
| 01.07.2010 | 35190 | 7600 | 42790 | 01.07.2010 | 40220 | 8700 | 48920 |
| 01.07.2011 | 36480 | 7600 | 44080 | 01.07.2011 | 41690 | 8700 | 50390 |
| 01.07.2012 | 37810 | 7600 | 45410 | 01.07.2012 | 43210 | 8700 | 51910 |
| 01.07.2013 | 39100+80पी पी | 7600 | 46780 | 01.07.2013 | 44770 | 8700 | 53470 |
| 01-07-2014 | 40510 | 7600 | 48110 | 01.07.2014 | 46380 | 8700 | 55080 |
| 01.07.2015 | 41960 | 7600 | 49560 | 01.07.2015 | 48040 | 8700 | 56740 |
| 01.07.2016 | 43450 | 7600 | 51050 | 01.07.2016 | 49750 | 8700 | 58450 |
| | | | | सेवानिवृत्ति दि. 31.10.2016 | | | |

अपर संचालक,(वित्त) द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/4/कार्या.स्था./सेल-5/2018/

81

भोपाल, दिनांक 16/10/2018

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल।
4. संभागीय पेंशन अधिकारी, पेंशन कार्यालय, भोपाल।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नियमानुसार एरियर्स राशी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
6. डॉ. जी.के. अग्रवाल, से.नि. प्रभारी उप संचालक, निवास-मंगलमूर्ति, सी-3/30, श्यामला हिल्स, श्रीकृष्ण कार केयर के उपर, पालीटेक्निक रोड, भोपाल, म.प्र.।
7. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त/अपर संचालक, (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
8. श्री पी.सी.थॉमस, सूचना सहायक, स्थानीय कार्यालय की ओर अग्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर दर्ज करावें।
9. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

संयुक्त संचालक (कार्या.स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश